बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना — 575 (S)

अधि0संख्या :– से0प्र0उप0–26 / स्था0(विविध)–07–02 / 2017 पटना, दिनांक 19/6/19

पथ निर्माण विभाग के अधीन पूर्ववर्ती गंगापुल परियोजना उपभाग के 51 पदों को सम्मिलित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–215 (एस), दिनांक–16.01.2017 एवं अधिसूचना सं0–1404(एस), दिनांक–20.02.2017 द्वारा 10 (दस) विशेषज्ञ अभियंताओं (अधी0 अभि0–01, कार्य0 अभि0–03, सहा0अभि0–06) के नवसृजित पदों के साथ सेतु प्रबंधन उपभाग के रूप में पूनगर्ठित किया गया है। जिसकी तकनीकी संस्थागत संरचना **(Organisational Chart)** निम्न प्रकार है:–

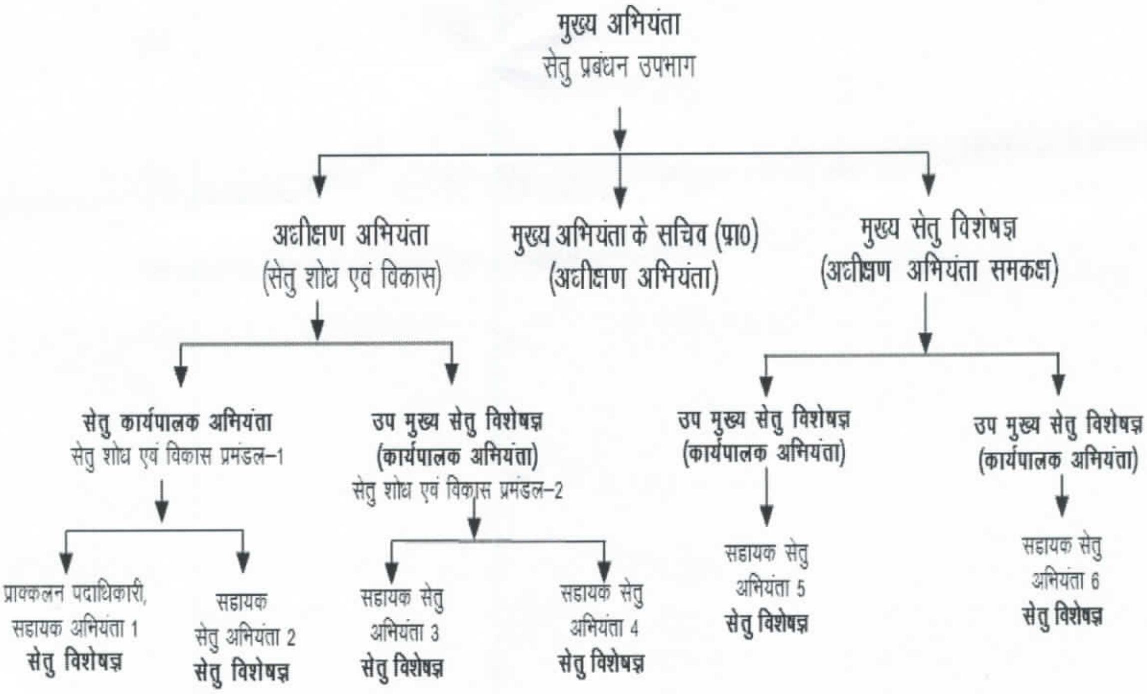

उपर्युक्त पूनगर्ठित सेतु प्रबंधन उपभाग के पदाधिकारियों (अभियंताओं) के लिए कार्यालय का स्थान, कार्यक्षेत्र तथा कर्त्तव्य एवं दायित्व का निर्धारण एवं कर्मियों का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है:–

1. मुख्य अभियंता, सेतु प्रबंधन उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

1. कार्यालय का स्थान :– विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना

2. कार्यक्षेत्र :– सेतु प्रबंधन हेतु सम्पूर्ण बिहार

3. कार्यबल :–	(i) मुख्य अभियंता	–	1
	(ii) सचिव प्रावैधिक (अधी0 अभि0)	–	1
	(iii) अवर सचिव	–	1
	(iv) निजी सहायक	–	2
	(v) प्रशाखा पदाधिकारी	–	1
	(vi) सहायक	–	6
	(vii) उच्च वर्गीय लिपिक	–	7
	(viii) निम्नवर्गीय लिपिक	–	1
	(ix) रोकड़पाल	–	1
	(x) ट्रेजरी सरकार	–	1
	(xi) कार्यालय परिचारी (अभिलेखवाह)	–	1
	(xii) कार्यालय परिचारी (चौकीदार)	–	1
	(xiii) कार्यालय परिचारी (आदेशपाल)	–	6
	कुल बल	–	30 पद

2. अधीक्षण अभियंता, सेतु शोध एवं विकास

अधीक्षण अभियंता, रूपांकण–सह–यांत्रिक अंचल, गंगापुल परियोजना, पथ निर्माण विभाग, सेतु प्रबंधन उपभाग के गठन के पश्चात् अब अधीक्षण अभियंता, सेतु, शोध एवं विकास, पथ निर्माण विभाग के रूप में जाने जायेंगे।

1. कार्यालय का स्थान :– विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना

2. कार्यक्षेत्र तथा कर्त्तव्य एवं दायित्व :–

(i) मुख्य अभियंता, सेतु प्रबंधन उपभाग के अधीन दो परियोजना प्रबंधन ईकाई (Project Implementation Unit) का भी प्रावधान किया गया है जो अधीक्षण अभियंता के अधीन विशेषीकृत PIU (Project Implementation Unit) के रूप में संबद्ध है, आवश्कतानुसार तकनीकी मार्गदर्शन हेतु क्षेत्र में भी कार्य करेगी। PIU (Project Implementation Unit) से संबंधित अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता आरम्भ में Bridge Management Information System व्यवस्थापन एवं सभी Data के Repository तैयार करने एवं इसे Technical Logic एवं Expert System से लैस करने का कार्य करेंगे।

(ii) बिहार में पथ प्रमंडलों के अतिरिक्त अन्य सेतु निर्माण करने वाली एजेंसियों, यथा–बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग आदि के साथ समन्वय स्थापित कर सेतु के निर्माण, पुनरोद्धार कार्य में तकनीकी सहयोग करना। विशेष परिस्थिति में अधीनस्थ कार्य प्रमंडल के कार्य प्रमंडल के माध्यम से सेतुओं के निर्माण एवं पुर्नोद्धार का भी कार्य किया जा सकेगा।

(iii) गंगापुल परियोजना उपभाग के सभी आस्तियों, यथा – गायधाट स्थित भू–खण्ड, आवासीय परिसर तथा सभी संबंधित अभिलेख (महात्मा गाँधी सेतु प्रमंडल हेतु कार्यालय परिसर छोड़कर) सेतु प्रबंधन उपभाग के अधीन हस्तान्तरित किया गया है, ताकि इसका उचित रख–रखाव हो सके और महात्मा गाँधी सेतु निर्माण हेतु अर्जित भू–खण्ड से संबंधित विस्थापितों का मामला भी सेतु प्रबंधन उपभाग द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

3. कार्यबल :– (i) अधीक्षण अभियंता, सेतु शोध एवं विकास – 1

(ii) सेतु कार्यपालक अभियंता, सेतु शोध एवं विकास प्रमंडल–1 – 1पद

(iii) प्राक्कलन पदाधिकारी (सेतु विशेषज्ञ) &
सहायक सेतु अभियंता (सेतु विशेषज्ञ)– 1&2 – 02 पद

(iv) आशुलिपिक वर्ग II – 1

(v) सहायक ग्रेड I/II – 1

(vi) निम्नवर्गीय लिपिक – 2

(vii) ड्राफ्टमैन ग्रेड –II – 1

(viii) कार्यालय परिचारी (दफ्तरी) – 1

(ix) कार्यालय परिचारी (आदेशपाल) – 1

कुल बल – 11 पद

3. अधीक्षण अभियंता, सेतु शोध एवं विकास के साथ संलग्न प्रमण्डल

सेतु शोध एवं विकास प्रमण्डल संख्या –2

कार्य का स्थान – गायधाट, पटना अवस्थित गंगापुल कॉलोनी

कार्य बल –

1. उप मुख्य सेतु विशेषज्ञ (कार्यपालक अभियंता), सेतु शोध एवं विकास प्रमण्डल–2 –1 पद
2. सहायक सेतु अभियंता (सेतु विशेषज्ञ) – 3 & 4 – 2 पद
3. कनीय अभियंता – 1
4. वरीय लेखा लिपिक – 1
5. निम्नवर्गीय लिपिक – 1
6. ड्राफ्टमैन ग्रेड I/II – 1
7. ट्रेजर गार्ड – 1
8. कार्यालय परिचारी (आदेशपाल) – 1

कुल योग – 9 पद

4. मुख्य सेतु विशेषज्ञ (अधीक्षण अभियंता)

1. कार्यालय का स्थान :– विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना, मुख्य अभियंता कार्यालय से संबद्ध
2. कार्यक्षेत्र तथा कर्त्तव्य एवं दायित्व :–

(i) सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी पुलों के प्रबंधन हेतु पृथक, निदेशालय के गठन की आवश्यकता बतायी गई है। अतएव राष्ट्रीय उच्च पथों पर निर्मित सेतुओं से संबंधित पुलों का भी प्रबंधन हेतु MoRTH के Integrated Bridge Management System से समन्वय कर राष्ट्रीय उच्च पथों पर निर्मित सेतुओं से संबंधित समेकित डाटाबेस (Integrated Data Base) में समाहित करना।
(ii) राज्य के सभी सेतु Structural and Functional Integrity को अक्षुण्ण बनाये रखने के उद्देश्य से Bridge Management Information System व्यवस्थापित कर पुलों से संबंधित सभी Data की Repository तैयार करने एवं Technological एवं Expert System से लैस करने का दायित्व सेतु प्रबंधन उपभाग का होगा। इससे Real Time में यह निर्धारित करना संभव होगा कि कब किस पुल में मरम्मति करना आवश्यक है ताकि पुल पर आवागमन बाधित नहीं हो। पुलों का Inventorization वैज्ञानिक पद्धति द्वारा तैयार किया जायेगा, ताकि सभी पुलों का GPS Location, इसके सभी अवयव जैसे नींव Sub Structure, Super Structure, Aesthetic, Engineering, Characteristic संबंधित data आवश्यकतानुसार On-line उपलब्ध कराया जा सके। सेतु प्रबंधन उपभाग का यह दायित्व होगा कि सेतु के मरम्मति एवं जीर्णोद्धार हेतु नयी – नयी संधारण/ पुनरोद्धार_तकनीक के अनुरूप क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक एवं विशिष्टियाँ तैयार करें।

(iii) राज्य के सभी सेतुओं, निर्माणाधीन एवं भविष्य में बनने वाली सेतुओं की तकनीकी जानकारी, यथा–डिजायन, ड्राईंग, Construction History निर्माण के दौरान हुई तकनीकी एवं प्रशासनिक कठिनाई सहित आदि का अभिलेखन एवं अभिलेख का व्योरेवार संधारण, कम्प्यूटरीकृत कर डिजीटाइज्ड कर संधारित करना ताकि भविष्य में इन पुलों के Functional Behaviour इत्यादि का विश्लेषण करने में मदद हो सके।

(iv) पथ निर्माण विभाग के सभी सेतुओं की तकनीकी विशिष्ट (Technical Specification) का सर्वेक्षण, वस्तु–सूची (Inventory) के साथ सेतु की वास्तविक स्थिति का सर्वेक्षण करना एवं उसका आंकड़ा (Database) संधारित करने हेतु पुलों का Condition Survey Report एवं Bridge rating की पद्धति तैयार कर सभी पूलों का Bridge rating number assign करेगा एवं तद्नुसार पुलों की मरम्मति एवं पुनरोद्धार की आवश्यकता एवं प्राथमिकता का आँकलन करना।

(v) महासेतुओं के पुनर्निर्माण एवं पुनरोद्धार हेतु तकनीकी दक्षतावर्द्धन एवं राज्य के तकनीकी पदाधिकारियों के बीच तकनीकी दक्षता को विकसित करना एवं राज्य में पूर्व से संचालित/स्थापित पुल निर्माण क्षेत्र में क्षमतावर्द्धन वाले संस्थाओं के समन्वय एवं मार्गदर्शन देना।

(vi) सेतु के प्रबंधन हेतु IRC के साथ विश्व एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनायी गई आधुनिक तकनीकी को सेतु निर्माण में सन्निहित करने हेतु व्यवस्था निरूपित कर इस हेतु दिशा–निर्देश तैयार करेगा।

vii) राज्य के सभी सेतुओं का ऑनलाईन सेतु प्रबंधन के माध्यम से Web Portal विकसित कर अद्यतन सूचनाओं को सुगतमापूर्वक उपयोगकर्त्ता एजेंसी को उपलब्ध कराना।

(viii) राज्य में निर्मित महासेतुओं के रख–रखाव हेतु सामान्य दिशा–निर्देश तैयार करना एवं उसे कार्यान्वित करना।

(ix) राज्य में सेतुओं का निर्माण, पुनरोद्धार एवं इनके संधारण में हो रहे तकनीकी विकास के साथ एवं आधुनिक तकनीकी का अध्ययन कर इनके संधारण का मसविदा (Protocol) विकसित करना, उनके माध्यम से चरणबद्ध तरीके से निर्मित सेतुओं पर सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था करना।

3. कार्यबल :–

(i) मुख्य सेतु विशेषज्ञ (अधीक्षण अभियंता) – 1 पद

(ii) उपमुख्य सेतु विशेषज्ञ (कार्यपालक अभियंता) – 2 पद

(iii) सहायक सेतु अभियंता – 5&6 –2 पद

(iv) निम्नवर्गीय लिपिक – 1

(v) कनीय लेखा लिपिक – 1

(vi) ड्राफ्टमैन ग्रेड I/II – 2

(vi) कार्यालय परिचारी (आदेशपाल) – 2

कुल बल – 11 पद

5. उपर्युक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन का भुगतान उपभागीय स्तर से ही किया जायेगा।
6. वेतनादि का व्यय माँग संख्या 41 के मुख्य शीर्ष–3054 सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष–80 सामान्य लधुशीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन उपशीर्ष –0001 निदेशन मतदेय विपत्र कोड 41–3054800010001 के अधीन किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(रत्नेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– से0प्र0उप0–26/स्था0(विविध)–07–02/2017 पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(रत्नेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– से0प्र0उप0–26/स्था0(विविध)–07–02/2017 5752(S) पटना, दिनांक 19/6/19
प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई– गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित। (द्वारा आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह०/–
(रत्नेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

कृ0पृ0उ0

SECTION-26/BMW/RCD

ज्ञापांक– से0प्र0उप0–26 / स्था0(विविध)–07–02 / 2017 पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव / मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना / सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग / निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पटना / लोकायुक्त के सचिव, बिहार, पटना / मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

(रत्नेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव

....

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / –

(रत्नेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव

....

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) / आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर प्रचारित करने हेतु प्रेषित।

19.6.19

(रत्नेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव

19/6

SECTION-26/BMW/RCD